न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 24/2019

विजय सिहं पुत्र दयानन्द मलिक जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सूरजगढ़ आदेश दिनांक 22.03.2019 उनवानी सरकार बनाम विजय सिहं मु0न0 01/2019 अ0धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री अवधेश –एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.08.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार सूरजगढ़ के निर्णय दिनांक 22.03.2019 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– मातहत अदालत ने दिनांक 12.03.2019 को रिपोर्ट तहसीलदार सूरजगढ़ रेस्पोडेन्ट को पेश करने पर उसी दिन प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया। उक्त रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 को जो रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत की गयी है वह किस के द्वारा प्रस्तुत की गयी है पूर्ण विवरण दर्ज नहीं है उक्त रिपोर्ट पर केवल हस्ताक्षर किये गये है और उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार सूरजगढ़ ने दर्ज कर नोटिस जारी करने का नोट लगाकर प्रकरण उक्त रोज ही दर्ज कर दिया उक्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी है उसमें उल्लेख है कि भूमि खसरा नम्बर 631/565 में धारा 90–ए, के तहत कार्यवाही की जाकर रिपोर्ट पेश है इससे यह साबित है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार सूरजगढ़ ने ही अपने मातहत कर्मचारी से तैयार करवाकर प्रकरण दर्ज कर शीघ्रता से निस्तारण किया है जो प्रकरण दर्ज किये जाने से पूर्व ही निर्धारित निश्चय कर लिया गया कि प्रकरण में उक्त कार्यवाही की जानी है मातहत अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने दिनांक 22.03.2019 को अपना जबाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके बाद अपीलान्ट को

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना चाहिये था लेकिन मातहत अदालत ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया। उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। जिसके एक हिस्से में मुर्गीपालन की बाबत टिनसैड का निर्माण किया जा रहा है तथा मुर्गी पालन का कार्य कृषि कार्य के अन्तर्गत ही आता है तथा मिश्रित कृषि के अन्तर्गत आता है उक्त मुर्गीपालन कृषि गतिविधियों का ही हिस्सा होने के कारण भूमि को रूपान्तरित करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। मुर्गीपालन कृषि गतिविधियों का ही हिस्सा है तथा मिश्रित कृषि के अन्तर्गत आता है इस बाबत सहायक कृषि निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। अपीलान्ट ग्राम उरीका की भूमि खसरा नम्बर 631/565 रकबा 1.75 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है जिसका राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट के नाम से दर्ज है लेकिन मातहत अदालत ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किया है जो कि अतिक्रमी के विरूद्ध जारी किया जाता है। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जाती है जो कि अवैध व अनाधिकृत कब्जाधारी के विरूद्ध की जाती है लेकिन अपीलान्ट भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि अतिक्रमी नहीं है लेकिन मातहत अदालत ने प्रकरण धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम में गलत दर्ज कर निर्णय दिनांक 22.03.2019 का पारित किया है। अपीलान्ट अपनी भूमि में मुर्गीपालन के लिए काम में लेना चाहता है जिसके लिए मिश्रित खेती होने के कारण भू–रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं है फिर भी रूपान्तरित करवाये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत कर रखा है जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट भी तहसीलदार सूजरगढ़ रेस्पोडेन्ट ने ही तैयार कर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के यहां प्रस्तुत की थी। मातहत अदालत ने उक्त तथ्य पर भी गौर किये बिना ही निर्णय दिनांक 22.03.2019 को पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 22.03.2019 अपास्त किया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान नजीर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सेक्सन 5 (2) की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील निजी खातेदारी की भूमि पर मुर्गीपालन का कार्य किया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता बल्कि मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। मुर्गीपालन मिश्रित कृषि की श्रेणी आने के कारण उक्त भूमि का रूपान्तरण किया जाना भी आवश्यक नहीं है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्ध उसकी निजी खातेदारी की भूमि पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की के तहत कार्यवाही की है जो विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत द्वारा निराधार तथ्यों पर आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.03.2019 को खारीज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये कृषि भूमि को व्यवसायिक रूप से बड़े स्तर पर मुर्गी फार्म बनाकर कार्य में लिया है। अदालत मातहत पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो साफ है कि ग्राम उरिका स्थित भूमि खसरा नम्बर 631/565 रकबा 1.75 हैक्टर का खातेदार अपीलान्ट है तथा उक्त भूमि पर अदालत मातहत द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

तहत कार्यवाही की है जिसको नियमानुसार नहीं माना जा सकता। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किसी निजि व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर अमल में लाई जाती है न की किसी व्यक्ति के खातेदारी की भूमि पर। जहां तक सवाल मुर्गीपालन का है तो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर अनुसार ''कृषि'' की परिभाषा में ''कृषि मे उद्यान–कृषि, पशु–प्रजनन, दुग्ध–उघोग, कुक्कुटपालन उधोग तथा वन विकास सम्मिलित है'' ऐसे में अपीलान्ट द्वारा किया गया मुर्गीपालन अवैध नही माना जा सकता क्योंकि मुर्गीपालन मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2019 खारिज किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवयश्कता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू